

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-299/07
संस्थापित दिनांक-18.07.2007
Filling no.235103000662007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
1- कन्छेदी पुत्र चाउ उम्र 36 साल निवासी:- ग्राम भीलरी थाना चंदेरी <div>.....आरोपी</div>

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 23.06.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 325 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 11.03.2007 को ग्राम आरौन में फरियादी राजाराम की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया मायाबाई द्वारा थाना चंदेरी में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि राजाराम बरार ग्राम आरौन में चाउ बरार के साथ बाजा बजाने गये थे। वहां पर ढोल टूट गया तो राजराम ने चाउ का ढोल किराये से लिया और ढोल लेकर चाउ के घर से निकले, वहां आगे जाकर चाउ का लडका कन्छेदी ने राजाराम को लट्ठ मार दिया जिससे राजाराम का पैर टूट गया। उक्त घटना दिनांक 11.03.2007 की है जिसकी जानकारी हमें दिनांक 14.04.2007 को लगी, जिसके संबंध में थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03- अभियुक्त को आरोपित धाराओ के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.03.2007 को ग्राम आरौन में फरियादी राजाराम की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: : सकारण निष्कर्ष : :

05— डॉ. आर.पी.शर्मा अ0सा01 ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 15.04.07 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आहत राजाराम पुत्र शंकरलाल की चोटो का परीक्षण किया था, जिसमें मरीज के द्वारा बांयी जांघ पर व घुटने के पीछे दर्द बताया था और मरीज के पैर के प्लाटर चढा हुआ था। उक्त साक्षी की रिपोर्ट प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि आहत को आई हुई चोट साईकिल पर गिरने से आ सकती।

06— डॉ. सीताराम रघुवंशी अ0सा02 द्वारा उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 02.06.2007 को जिला चिकित्सालय गुना में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मेडिकल ऑफिसर चंदेरी द्वारा आहत राजा पुत्र सुखलाल को भेजा गया था। आहत के बांयी जांघ व घुटने का एक्सरे परीक्षण किया था, एक्सरे प्लेट के अवलोकन के बाद बांयी फिमर हड्डी के पिछले भाग पर अस्थिभंग होना पाया था एवं नेलिंग प्रेजेन्ट थी। उक्त कथन की संपुष्टि उनके द्वारा लेखबद्ध अस्थि भंग रिपोर्ट प्रदर्श पी0 02 से भी होती है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसकी रिपोर्ट प्र.पी.2 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अस्थि भंग कितना पुराना था। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा उसकी रिपोर्ट प्र.पी. 2 में अस्थिभंग की अवधि 14 दिन के भीतर की होने का इसलिये उल्लेख नहीं है क्योंकि केलस फार्मेशन 14 दिन के बाद दिखाई देता है जोकि उक्त एक्सरे में दिखाई नहीं दे रहा था।

07— इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा घटना में फरियादी मायाबाई आहत राजाराम की साक्ष्य उनके प्रकरण में अदम पता हो जाने से प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा अन्य साक्षी प्रधान आरक्षक यशवंत सिंह को साक्ष्य हेतु उपस्थित रहने हेतु अभियोजन को बार बार अवसर दिये जाने के पश्चात भी न्यायालय मे प्रस्तुत करने में असफल रही है। उक्त साक्षीगण प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी थे एवं उनके संभावित प्रत्यक्ष साक्ष्य का न्यायालय में न प्रस्तुत किया जाना अभियोजन के लिये घातक है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य में घटना एवं अपराध के संबंध में किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। उपरोक्त साक्ष्य घटना के संबंध में अभियुक्त का दोष स्थापित नहीं करती है एवं अभियोजन को किसी भी प्रकार का लाभ प्रदान नहीं करती है।

08— फलतः प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 11.03.2007 को ग्राम आर्रोन में फरियादी राजाराम की मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त कन्छेदी पुत्र चाउ उम्र 36 साल निवासी ग्राम भीलरी को धारा 325 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

10— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0